रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– के पी सिटी– 67/2018–20

अधिकार किसको जानने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.dhr.gov.in लॉगिन कर क्लिक करें अल्टरनेटिव मेडिसिन तथा गज़ट पढ़ने हेतु log in करें www.behm.org.in

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/204 'एस' जूही,
कानपुर–208014

वर्ष –41 ● अंक –24 ● कानपुर 16 से 31 दिसम्बर 2019 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य ₹100

मान्यता के लिए नये सिरे से प्रयास

- ✓ आगामी मैटी जयंती से आयोजनों की योजना
- ✓ IDC द्वारा केन्द्रीय स्तर पर मान्यता देने पर विचार
- ✓ इलेक्ट्रो होम्योपैथी के संचालन पर कोई रोक नहीं
- ✓ राज्य सरकारें इसके लिये कानून बनयें
- ✓ मान्यता के लिए वांछित है शिक्षा व औषधि निर्माण
- ✓ अधिकांश औषधि निर्माता अपने को बताते हैं लाइसेन्स धारक

इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के लिए किये गये अब तक के प्रयासों पर समीक्षात्मक अध्ययन के बाद यह विचार बना है कि अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ साथ भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद से सम्बन्धित लोगों का समर्थन प्राप्त किया जाये, इस सम्बन्ध में अलग अलग संगठनों द्वारा अपने अपने स्तर से प्रयास आरम्भ भी कर दिये गये हैं जहां एक ओर आयुष से सम्बन्धित चिकित्सा पद्धतियों के गणमान्य व्यक्तियों से सहयोग एवं समर्थन पर सहगति बनाने का प्रयास किया जा रहा है वहीं दूसरी ओर कुछ दूसरे संगठनों द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के जानकारों, वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों द्वारा भी इस दिशा में सम्पर्क साधने का प्रयास किया जा रहा है, इसके लिए गोष्ठी एवं सम्मेलनों के आयोजन भी कुछ संगठनों द्वारा किये जा रहे हैं, आयोजक संगठनों को यह आशा है कि मान्यता हेतु जिन मापदण्डों की पूर्ति की जानी है इन माध्यमों से सहजता से पूरी की जा सकती है।

आयोजक संस्थायें आश्वस्त हैं कि इन वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों के माध्यम से मान्यता के लिए वांछित मापदण्ड पूरे करने के लिए आवश्यक साक्ष्य एवं अभिलेख सुगमता से प्राप्त किये जा सकते हैं, जिन्हें भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा गठित अन्तरविभागीय समिति को उपलब्ध कराकर मान्यता के लिए लाम्बित प्रकरण को निस्तारित कराया जा सकता है, इस प्रयोजन के लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी के आविष्कारक डा0 काउण्ट सीजर मैटी के 11 जनवरी, 2020 से होने वाले आयोजनों की एक श्रंखला बनायी गयी है जिसके माध्यम से पूरे देश में घूम घूम कर देश में स्थापित राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय तथा स्थानीय संगठनों द्वारा इसका प्रचार व प्रसार किया जायेगा, इन संगठनों में राजस्थान व दिल्ली राज्य के संगठनों की महत्ती भूमिका रहने की सम्भावना है, कई संगठनों द्वारा तो प्रयास भी प्रारम्भ कर दिया गया है, वैसे तो इन संगठनों का प्रारम्भिक लक्ष्य जहां राजस्थान में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता को पूर्णतः का स्थान दिलाना है वहीं दिल्ली राज्य के संगठन दिल्ली राज्य सरकार व केन्द्र सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

ज्ञातव्य हो कि भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय स्वास्थ्य एवं अनुसंधान विभाग द्वारा गठित अन्तरविभागीय समिति अपनी बैठकों के सार में जो कार्यवाहियां जारी की हैं उसने उसमें स्पष्ट कर दिया है कि वह केन्द्रीय स्तर पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता देने पर विचार कर रही है उसने यह भी स्पष्ट किया है कि वर्तमान प्रचलित चिकित्सा पद्धतियों के संचालन पर केन्द्र सरकार की कोई रोक नहीं है किन्तु केन्द्र सरकार मापदण्ड पूरे हुए बिना मान्यता नहीं देगी, अन्तर विभागीय समिति ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य सरकारें अपने राज्यों में इसके लिये सम्बन्धित कानून बना सकती हैं अन्तर विभागीय समिति की इन्हीं सिफारिशों को दृष्टिगत रखते हुए पूरे देश में आगामी मैटी जयन्ती अर्थात 11 जनवरी, 2020 से इस सम्बन्ध में प्रभावी कदम उठाने के लिए देश में संचालित इलेक्ट्रो होम्योपैथी के राष्ट्रीय सहित सभी राज्य एवं स्थानीय स्तर के संगठन राज्य सरकारों से इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नियमन के लिए प्रयास करेंगे, जिससे इलेक्ट्रो होम्योपैथी की पूर्ण मान्यता होने तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान तथा विकास का कार्य राज्य के नियमानुसार संचालित होता रहे है।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी संगठनों द्वारा जो भी कार्यक्रम पूर्व नियोजित हैं वह अपनी गति से चल रहे हैं और सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं किन्तु उनके द्वारा प्राप्त परिणामों की प्रतीक्षा लम्बी हो सकती है इसलिए यह आवश्यक है कि देश में संचालित इलेक्ट्रो होम्योपैथी संगठनों द्वारा जो कार्यक्रम बनाये गये हैं उन्हें पूरी क्षमता के साथ पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिये, इन प्रयासों के सफल होने की पूरी सम्भावना है क्योंकि भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा गठित अन्तर विभागीय समिति ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकारें यदि चाहें तो इसके लिए अपने राज्य में कानून बना सकती हैं इस कार्य को पूर्ण कराना इस लिए भी आवश्यक है कि देश में खाद्य एवं औषधि प्रशासन प्राधिकरण के अधीन मानक संगठन के द्वारा राज्य सरकारों को निर्देशित किया गया है कि वह अपने अपने राज्यों में औषधि नियन्त्रकों को निर्देशित करें कि वह औषधि निर्माण के क्षेत्र में कठोरता के साथ निगरानी करें जिससे मानक युक्त औषधियां राज्य की जनता को सुगमता से प्राप्त हो सके।

भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा गठित अन्तर विभागीय समिति द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के लिए अब जो वांछित है उनमें मात्र शिक्षा एवं औषधि निर्माण है इससे स्पष्ट होता है कि सरकार द्वारा हमारी शैक्षिक व्यवस्था एवं औषधि निर्माण विधि, विपणन एवं सोत्र की जानकारी चाही गयी है इसकी पूर्ति करने में औषधि निर्माता महत्ती भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि प्रयोगिक रूप से औषधि की ही भूमिका है शिक्षण के समय औषधियों का प्रदर्शन एवं चिकित्सा करते समय औषधियों का ही प्रयोग किया जाता है इसलिए औषधि गुणवत्ता युक्त हो, इसके लिए औषधि निर्माताओं का दायित्व है कि वह अपनी अग्रणी भूमिका निभाने का प्रयास करें और राज्यों में होने वाले आयोजनों को सफल बनाने के लिए अपना भरपूर प्रयास करें जिससे राज्य सरकारों द्वारा नियमन की कार्यवाही सुचारू रूप से पूर्ण हो सके।

राज्य सरकार द्वारा जो नियमन किया जायेगा उसके अधीन इलेक्ट्रो होम्योपैथी की शिक्षा,चिकित्सा एवं औषधि निर्माण ही नियमित होगी इस नियमन से खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा औषधि निर्माण के क्षेत्र में आवश्यक सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा, देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी औषधि निर्माण क्षेत्र में लगे संगठनों/इकाइयों का इसका लाभ उठाना चाहिये और 11 जनवरी, 2020 से होने वाले कार्यक्रमों में बढ़चढ़ कर अपनी सहभागिता करनी चाहिये क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता में अब जो विलम्ब है वह केवल औषधि निर्माण से ही सम्बन्धित है औषधि निर्माण के विषय को पूर्ण किये बिना मान्यता असम्भव है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के अभाव में औषधियों का उपयोग अब और अधिक आगे करना असम्भव सा प्रतीत हो रहा है क्योंकि अब खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने प्रभावी ढंग से कार्यवाही करने का मन बना लिया है।

अधिकांश इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधि निर्माता औषधि निर्माण के लिए कोई न कोई अनुज्ञाप्ति धारक हैं किन्तु इनके द्वारा प्राप्त अनुज्ञा नियमानुसार नहीं है क्योंकि इनके द्वारा निर्मित किये जाने वाले उत्पाद इलेक्ट्रो होम्योपैथी के रूप में किसी संगठन द्वारा प्रमाणित/अग्रसारित नहीं हैं ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नाम पर निर्माण किये जाने वाले उत्पाद को इलेक्ट्रो होम्योपैथी नहीं कहा जा सकता है, ऐसे सभी औषधि निर्माताओं को चाहिये कि वह समय व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता में अपना सार्थक सहयोग प्रदान करें क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि उनकी जांच की आड़ में इलेक्ट्रो होम्योपैथी का नुकसान हो जाये और इलेक्ट्रो होम्योपैथी ही चिकित्सा पद्धति से अलग कर दी जाये क्योंकि अधिकांश औषधि निर्माता अपने आप को औषधि लाइसेन्स धारक बताते हैं उन्होंने लाइसेन्स कहां से प्राप्त किया है ?उसके अधीन वह क्या उत्पाद करते हैं ?इसका स्पष्ट उल्लेख वे नहीं करते हैं और लोगों को तकनीकी रूप से बताते हैं कि जो सामान्तयः समझ से परे होता है, अब इस तरह का समझाना बहुत अधिक चलने वाला नहीं है समय रहते सीधी सादी बात होनी चाहिये जो आमजन को आसानी से समझ में आ जाये।

औषधि निर्माताओं का यह दायित्व होता है कि आगामी 11 जनवरी, 2020 से होने वाले आयोजनों को सफल बनाने का भरपूर प्रयास करें अच्छा तो यह होगा कि वह इन आयोजनों की कमान अपने हाथों में ले लें और हर वह प्रयास करें कि जिससे राज्य सरकारों द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए नियमन की कार्यवाही पूर्ण हो सके इसके लिये वह भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा गठित अन्तरविभागीय समिति की संस्तुतियों को आधार बना सकते हैं इस हेतु वे अपने स्थानीय राजनेताओं से सहयोग व समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करें जिससे वह खाद्य एवं औषधि प्रशासन को उनके द्वारा निर्मित उत्पादों को इलेक्ट्रो होम्योपैथिक उत्पाद प्रमाणित कर सकते हैं।

प्रतिज्ञा

आजकल इलेक्ट्रो होम्योपैथी में प्रतिज्ञा लेने की होड़ सी लगी है प्रतिज्ञा क्यों ली जाती है ! कहाँली जाती है और कब ली जाती है ? प्रतिज्ञा लेने का उद्देश्य क्या है ? इसकी भलीभांति जानकारी के लिए पहले यह समझना होगा कि प्रतिज्ञा है क्या !

प्रतिज्ञा किसी व्यक्ति द्वारा किसी चीज़ को करने या न करने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध करने की प्रक्रिया को कहते हैं और उसको पूरा करने के लिए किसके समक्ष प्रतिज्ञा की जा रही यह सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, प्रतिज्ञा के लिए मात्र प्रमाण पत्र जारी कर देने या छाप देने से प्रतिज्ञा नहीं हो जाती है अपितु इस प्रकार के कृत्य से किसी भी प्रकार की प्रतिज्ञा का अनादर ही होता है और प्रतिज्ञा लेने वाला व्यक्ति महत्वहीन हो जाता है, इस प्रकार के प्रतिज्ञा पत्र आजकल सूचनाओं में बहुत छाये हुए हैं, आश्चर्य की बात तो यह है कि प्रतिज्ञा पत्र पर अति महत्वपूर्ण एंव सुयोग्य व्यक्तियों के नाम अंकित किये जा रहे हैं जो स्वयं में अपनी योग्यताओं, क्षमताओं एवं दक्षताओं के प्रति प्रतिबद्ध हैं, उनके नाम से इस प्रकार के प्रतिज्ञा पत्र जारी करने से उनकी योग्यता, क्षमता एवं दक्षता पर स्वतः प्रश्नचिन्ह लग जाता है, ऐसे सुयोग्य व्यक्तियों के नाम से प्रतिज्ञा पत्र जारी करने का आशय क्या है ! यह तो प्रतिज्ञा पत्र जारी करने वाले ही बता सकते हैं, प्रायः प्रतिज्ञा किसी सक्षम अधिकारी के समक्ष किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए ही प्रतिज्ञा ली जाती है अथवा प्रतिज्ञा लेने वाला व्यक्ति उस कार्य को पूर्ण करने का संकल्प लेता है।

सूचनाओं में जो प्रतिज्ञा पत्र जारी किये जा रहे हैं वह किसी संगठन/समूह द्वारा प्रमाण पत्र के रूप में हैं और इसमें प्रतिज्ञा लेने वाले व्यक्तियों में वह सभी चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक सम्मिलित हैं जो अभी तक मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों से नहीं है ऐसे चिकित्सकों को प्रतिज्ञा पत्र जारी करने का आशय क्या हो सकता है ! क्या उन्हें यह प्रतिज्ञा पत्र उनकी योग्यता को विवादित करने का प्रयास तो नहीं है! क्योंकि जारी प्रमाण पत्रों में अधिकाधिक वह व्यक्ति दिखायी दे रहे हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त हैं तथा प्रायः वह दूसरों को प्रतिज्ञा दिलाते हैं ऐसे व्यक्तियों के नाम जारी प्रतिज्ञा पत्रों का अर्थ क्या हो सकता है ?

जारी प्रतिज्ञा प्रमाण पत्रों में एक बड़ी संख्या ख्यातिप्राप्त इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों की है इसमें वह नामचीन चिकित्सक भी सम्मिलित हैं जो सरकार के समक्ष इलेक्ट्रो होम्योपैथी का पक्ष बड़ी मज़बूती के साथ रखते हैं और सरकार को मानने के लिए बाध्य भी करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के नाम जारी प्रतिज्ञा पत्र जिसका सम्बन्ध न तो चिकित्सा पद्धति से हो और न ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी से और जिसके द्वारा प्रतिज्ञा पत्र जारी किया जा रहा है वह भी उच्च श्रेणी का न हो तो ऐसे प्रतिज्ञा पत्र का क्या औचित्य है ?तमाम ऐसे व्यक्तियों के नाम प्रतिज्ञा पत्र जारी किये जा रहे हैं जिनका न तो चिकित्सा के क्षेत्र में और न ही समाज में कोई महत्व है, उनका इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कोई लेना देना भी नहीं है, उनको इन प्रतिज्ञा पत्रों के माध्यम से अन्ततः क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है ! कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें इन प्रतिज्ञा पत्रों के द्वारा चिकित्सक बनाने का प्रयास किया जा रहा हो यदि ऐसा है तो! यह प्रतिज्ञा अर्थहीन ही है।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी के साथ साथ इस प्रकार के प्रतिज्ञा पत्र एक्यूपंचर के नाम से भी देखे जा रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिज्ञा पत्र प्रमाण पत्रका रूप ले रहे हैं जो सम्भवतः लोगों को आकर्षित करने के लिए जारी किये जा रहे हैं, ऐसे प्रतिज्ञा पत्रों से इलेक्ट्रो होम्योपैथी या एक्यूपंचर को क्या लाभ होगा ! यह तो आने वाला समय ही बतायेगा कि प्रतिज्ञा लेने वाले इस प्रतिज्ञा का कितना पालन करते हैं या फिर प्रतिज्ञा को हास्यास्पद बनाते हैं।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों को यदि प्रतिज्ञा लेनी ही है तो उन्हें अपने संगठन/समूह या इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रति उन्नयन एवं विकास हेतु प्रतिज्ञा लेनी चाहिये यदि वह इन जारी प्रतिज्ञा पत्रों को प्रमाण पत्र के रूप में समझ रहे हैं तो उन्हें अपने संगठन/समूह के द्वारा ऐसे प्रमाण पत्र प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिये जिससे उनके संगठन/समूह का गौरव बढ़े।

तिथियों से प्रेरणा लेनी चाहिये—डा0 एम0 के0 मिश्रा

जीवन में तिथियों का अपना एक महत्व होता है, इन तिथियों की जीवन में हर समय उपयोगिता और महत्ता होती है जिस प्रकार वर्ष भर में 12 महीने होते हैं और हर महीने में जितनी भी तिथियां पड़ती हैं उनका अलग-अलग महत्व होता है, कोई जन्म दिन की तिथि होती है तो कोई मरण की तिथि, कोई विवाह की तिथि होती है तो कोई अलगाव की, हर तिथि अपनी अलग पहचान रखती है संसार में जो जिस तिथि को पैदा होता है वह उसी तिथि को अपना जन्म दिन मानता है चूँकि उस व्यक्ति को अपनी उस तिथि की महत्ता पता होती है इसी प्रकार हर त्यौहार चाहे होली हो या दिवाली, ईद हो या बकरीद, क्रिसमस हो या गुडफ्राईडे, गुरू गोविन्द सिंह का जन्म दिन हो या गुरुनानक का, हर महत्वपूर्ण दिन का अपना अलग महत्व होता है और हम सब इन तिथियों की महत्ता को नहीं भूलते और निश्चित तिथि पर ही कार्यक्रम मनाते हैं।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी में भी कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिनका अपना अलग-अलग महत्व है, हमें हर तिथि के बारे में जानना चाहिये और इन तिथियों पर कार्यक्रम भी आयोजित करने चाहिये, देख जाय तो **इलेक्ट्रो होम्योपैथी में निम्न महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो क्रमशः इस प्रकार हैं 04 जनवरी, 11 जनवरी, 24 अप्रैल, 02 जून, 21 जून, 25 जुलाई, 04 सितम्बर और 30 नवम्बर।**

अब हम इन तिथियों के बारे में आपको विस्तार से अवगत कराते हैं ताकि यह तिथियां और इनके महत्व को आप अपने मस्तिष्क में अंकित कर लें 04 जनवरी का दिन उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ में सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि 4 जनवरी, 2012 को उत्तर प्रदेश के चिकित्सा विभाग द्वारा बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0 के पक्ष में प्रथम और महत्वपूर्ण शासनादेश जारी कर प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान का अधिकार प्रदान किया है, इस तिथि को **अधिकारिता दिवस** के रूप में मनाया जाता है, इस तिथि का सबसे अलग महत्व है क्योंकि प्रदेश में अधिकारपूर्वक कार्य करने के लिए इस तिथि का योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकता है, अगली तिथि 11 जनवरी की है वैसे तो हर इलेक्ट्रो होम्योपैथ इस तिथि की महत्ता को जानता है 11 जनवरी, 1809 को इलेक्ट्रो होम्योपैथी के आविष्कारक डा0 काउण्ट सीज़र मैटी का जन्म इटली में हुआ था पूरे विश्व में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के समर्थक 11 जनवरी का दिन डा0 काउण्ट सीज़र मैटी के जन्मदिन के रूप में उत्साह पूर्वक मनाते हैं, 24 अप्रैल के दिन की अपनी अलग महत्ता है।

प्रदेश में एक मात्र विधि सम्मत ढंग से स्थापित व प्रदेश सरकार द्वारा आदेश प्राप्त संस्था बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 की स्थापना 24 अप्रैल, 1975 को कानपुर में डा0 मो0 हाशिम इदरीसी द्वारा की गयी थी, आपको यह भी जानना होगा कि डा0 इदरीसी के एकल प्रयासों का परिणाम है कि आज पूरे देश में यदि किसी संस्था विशेष के लिए शासनादेश जारी किया गया है तो वह है बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0। 24 अप्रैल के दिन को **स्थापना दिवस** के रूप में प्रति वर्ष धूमधाम से मनाया जाता है, 02 जून का दिन भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए कम महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि 02 जून को डा0 बी0 बी0 सिन्हा का जन्म दिन है इस दिन को दिन **विश्व इलेक्ट्रो होम्योपैथी दिवस** के रूप में मनाये जाने की घोषणा 21 जून 2014 को सर्वसम्मति से की गयी थी, इस दिवस को विश्व इलेक्ट्रो होम्योपैथी दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाना था व्यापक प्रचार व सहयोग प्राप्त न होने के कारण इसे पूर्णतः नहीं दी सकी यदि ऐसा करने में इलेक्ट्रो होम्योपैथी सफल होती तो भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के लिए 28 फरवरी, 2017 को जारी नोटिस के एक महत्वपूर्ण बिन्दु की पूर्ति स्वतः हो जाती,21 जून की तिथि की महत्ता को कोई भी इलेक्ट्रो होम्योपैथ भूल ही नहीं सकता, आपको याद होगा कि 25 नवम्बर, 2003 को भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आदेश जिसके गलत व्याख्यित होने के कारण पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक अघोषित बन्दी की तरफ मुड़ गयी थी, हर तरफ निराशा और अवसाद था, तब 5-5-2010 को भारत सरकार ने एक स्पष्टीकरण जारी करके इलेक्ट्रो होम्योपैथी को नवजीवन तो प्रदान कर दिया परन्तु यह नवजीवन कार्य करने का रास्ता नहीं खोल रहा था, तब डा0 इदरीसी ने अपनी बौद्धिक क्षमता का परिचय देते हुए जिस सूझ-बूझ के साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथी को कार्य करने का अवसर दिलाया उसका परिणाम 21 जून रहा, डा0 इदरीसी के व्यक्तिगत और साहसी प्रयासों के कारण ही भारत सरकार ने 21 जून, 2011 को इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के पक्ष में एक आदेश जारी करके पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान की राह खोल दी तथा प्रत्येक राज्य सरकार एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को आदेशित किया कि 21 जून, 2011 के इस आदेश का क्रियान्वयन अपने-अपने राज्य में करें, यह एक महत्वपूर्ण विजय है इसलिए इस तिथि को हम सब **विजय दिवस** के रूप में मनाते हैं, आपको यह भी जानना आवश्यक है कि इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा0 एम0 एच0 इदरीसी ही हैं।

आज पूरा देश जिस **विजय दिवस** को विजय के रूप में मनाता है इसका श्रेय भी डा0 इदरीसी को ही जाता है, 25 जुलाई की तिथि का अपना अलग वैशिष्ट है, 25 जुलाई 1978 को कानपुर में डा0 एम0 एच0 इदरीसी द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया का गठन किया गया था यह संगठन इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों, छात्रों, संस्थानों के लिए कार्य करता है इसलिए 25 जुलाई का दिन **इम्माई दिवस** के रूप में पूरे देश में धूम-धाम से मनाया जाता है, अब 4 सितम्बर की तिथि आती है इस दिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी के आविष्कारक डा0 काउण्ट सीजर मैटी का स्वर्गारोहण हुआ था इस तिथि को हम **मैटी पुण्य तिथि** के रूप में मनाते हैं और शपथ लेते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की स्थापना के लिए जीवन पर्यन्त कार्य करते रहेंगे आपको जानकर कष्ट होगा कि कुछ लोगों ने इस तिथि को विवादित बना दिया है, इसके बाद अन्तिम तिथि के रूप में 30 नवम्बर का दिन आता है इस दिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी के मूर्धन्य विद्वान डा0 नन्दलाल सिन्हा का जन्म 30 नवम्बर, 1889 को हुआ था इस तिथि को सिन्हा जयन्ती (**प्रेरणा दिवस**) के रूप में मनाते हैं इस बार भी सिन्हा जयन्ती बड़े धूम-धाम से प्रेरणा दिवस के रूप में मनायी गयी बोर्ड के सभागार में आयोजन किया गया, बोर्ड से सम्बद्ध स्टडी सेन्टर/ इन्सटीट्यूटों ने भी सिन्हा जयन्ती को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया।

इन तिथियों को इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक/संगठन एवं संस्थान विस्मृत नहीं करेंगे, यदि तिथियां विस्मृत होंगी तो आपके कार्यों का और जिससे प्रेरणा लेकर आप कार्य कर रहे हैं उनका क्या होगा ? अब जब पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करने का अच्छा वातावरण है तो इस वातावरण का हम सब उपयोग करें और पैथी के विकास के लिए कार्य करें।

सोवा–रिग्पा की मान्यता पर हो गया विवाद

मामला संयुक्त राष्ट्र संघ तक पहुँचा

पाठकों को याद होगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा गत 30 अगस्त, 2019 को एक आयोजन में सोवा–रिग्पा को आयुष परिवार का छठा सदस्य घोषित किया था, जिसे आपके प्रिय गज़ट ने भी अंक 18, 16 से 30 सितम्बर, 2019 में आयुष परिवार में छठा सदस्य शामिल हुआ सोवा–रिग्पा शीर्षक से प्रकाशित भी किया था, भारत सरकार के इस निर्णय पर चीन ने आपत्ति जताई है, इस आशय के समाचार समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुये हैं, ऐसा ही एक समाचार इस समाचार में उद्धरित किया गया है, प्रकाशित समाचार में दावा किया गया है कि यह चिकित्सा पद्धति चीन की पारम्परिक चिकित्सा पद्धति है जिसे भारत सरकार द्वारा आयुर्वेद का अंग बताया जा रहा है, भारत ने यह भी दावा किया है कि भारत में हिमालय के निकट रहने वाले समुदायों में यह लोकप्रिय रही है, सिक्किम, अरुणांचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, हिमांचल प्रदेश एवं लद्दाख में यह पद्धति सदियों से उपयोग में आती रही है, भारत ने इसे भारतीय परम्परा का हिस्सा करार देने का दावा संयुक्त राष्ट्र संघ के शैक्षिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संगठन **UNESCO** में किया है जबकि इसपर चीन ने अपनी कड़ी आपत्ति जतायी है।

चीन द्वारा जतायी गयी आपत्ति से ऐसा प्रतीत होता है कि सोवा–रिग्पा को मान्यता देने के लिये जहां एक ओर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री गुलाम नबी आजाद की विशेष रुचि रही थी जहां एक ओर देश में सोवा–रिग्पा पद्धति से चिकित्सा करने वालों की लगन व मेहनत रही वहीं दूसरी ओर भारत सरकार द्वारा धर्म गुरु दलाई लामा को सम्मान देने की भी बात थी।

भारत सरकार द्वारा किसी नई चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने के लिये वे सभी प्रयास किये गये जो इस चिकित्सा पद्धति को अपनाये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आवश्यक थे, भारत सरकार के विदेश एवं आयुष मंत्रालय ने कई ऐसे अभिलेख एवं साक्ष्य तैयार किये जिसे उसने संयुक्त राष्ट्रसंघ के शैक्षिक वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संगठन **UNESCO** के समक्ष प्रस्तुत किये, भारत सरकार द्वारा यह प्रयास किसी नई चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन देने के लिये किया गया है, भारत सरकार का यह कदम मोदी सरकार द्वारा पारम्परिक चिकित्सा पद्धतियों को दिये जा रहे प्रोत्साहन के रुप में भी देखा जा सकता है।

देश की जनकल्याण–कारी सरकार से इलेक्ट्रो होम्योपैथी को भी बहुत अपेक्षायें हैं कि यह सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी को भी शीघ्र मान्या प्रदान करेगी तथा लगभग 150 वर्षों से संचालित हो रही इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को भी वह अधिकार व सम्मान प्रदान करेगी जिसकी वह हकदार है, सरकार द्वारा जब किसी चिकित्सा पद्धति को अपने देश की जनता के स्वास्थ्य लाभ के लिये मान्यता प्रदान करने की इच्छा प्रबल होती है तो वह संयुक्त राष्ट्रसंघ जैसे फोरम पर भी उस पद्धति का पक्ष रखती है जिसे वह मान्यता देना चाहती है इलेक्ट्रो होम्योपैथी भी अपवाद हो सकती है

आयुष परिवार में छठा सदस्य शामिल हुआ सोवा रिग्पा

देश में प्रचलित आयुर्वेद, योगा, सिद्धा, यूनानी एवं होम्योपैथी जिसे सम्मिलित रूप से आयुष के नाम से जाना जाता है जिसके लिए देश में चिकित्सा मन्त्रालय से भिन्न एक स्वतन्त्र मन्त्रालय भी स्थापित है जो आयुष मन्त्रालय के नाम से जाना जाता है जिसके लिए एक स्वतन्त्र प्रभार का एक मंत्री भी है वर्तमान में इस ... गोवा से निर्वाचित सांसद श्री श्रीपाद ... मंत्री हैं। पिछली ... द्वारा ... 30 अगस्त, ... दर्जन ... देश के लगभग एक ... नेचरोपैथी के चिकित्सकों के सम्मान का आयोजन किया गया इस अवसर पर डाक टिकट भी जारी किये गये थे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने आयुष परिवार में छठे सदस्य के रूप में सोवा रिग्पा सम्मिलित करते हुए कहा कि यह गर्व की बात है कि आयुष परिवार में अब पाँच के बजाय छः पद्धतियां हो गयी हैं उन्होंने कहा कि सोवा रिग्पा तिब्बतन पारम्परिक चिकित्सा पद्धति है जो भारत से बहुत नजदीक है और आयुर्वेद से भी ... निकटता है।

सोवा-रिग्पा पर भारत के दावे पर चीन ने जताई आपत्ति

नई दिल्ली। प्राचीन चिकित्सा पद्धति 'सोवा-रिग्पा' पर भारत ने अपना दावा जताया है। इस पर चीन ने आपत्ति जताई है। सोवा-रिग्पा को आयुर्वेद के समान माना जाता है, इसलिए भारत ने इसे अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत करार दिया है। वहीं चीन ने भी अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस पर अपना दावा किया है।

सोवा-रिग्पा को तिब्बती परंपरा की चिकित्सा माना जाता है और भारत में हिमालय के निकट रहने वाले समुदायों में यह लोकप्रिय रही है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में यह सदियों से उपयोग में आती रही है। भारत ने इसे भारतीय परंपरा का हिस्सा करार देने का दावा संयुक्त राष्ट्र संघ के शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) में किया है।

खुद गौतम बुद्ध ने पढ़ाई थी यह पद्धति

सोवा रिग्पा में अपनाई जाने वाली पद्धतियां आयुर्वेद से मिलती-जुलती हैं। इसमें कुछ चीनी चिकित्सा शैली भी शामिल हैं। इसकी मूल पुस्तक 'ग्यूड बजी' के लिए कहा जाता है कि इसे खुद गौतम बुद्ध ने पढ़ाया था। इसी वजह से यह बौद्ध दर्शन के भी निकट है।

लेकिन सूत्रों के अनुसार चीन ने इसे लेकर आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय के साथ आयुष मंत्रालय ने कई दस्तावेज और साक्ष्य तैयार किए हैं, जिन्हें यूनेस्को में प्रस्तुत किया है। भारत ने यह कदम मोदी सरकार द्वारा पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को दिए जा रहे प्रोत्साहन के तहत उठाया। कैबिनेट 20 नवंबर को लेह में सोवा रिग्पा राष्ट्रीय संस्थान की मंजूरी दे चुकी है। एजेंसी

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
के आदेश संख्या

C.30011/22/2010-HR

व

उ0प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेश
संख्या 2914/पांच–6–10–23रिट/11
एवं
2 सितम्बर 2013 को क्रियान्वित आदेश
के अनुसार
प्रदेश में विधि सम्मत ढंग से स्थापित
बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0
द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों
क्रमशः

P.G.E.H. अवधि 2 वर्ष
अर्हता किसी भी चिकित्सा संकाय में ग्रजुऐट

G.E.H.S. अवधि 4+1 वर्ष
अर्हता 10 + 2 P.C.B.

M.B.E.H. अवधि 3 वर्ष
अर्हता 10 + 2 P.C.B.

F.M.E.H. अवधि 2 वर्ष (4 सेमेस्टर)
अर्हता 10 + 2 उत्तीर्ण

A.C.E.H. अवधि 1 सेमेस्टर
अर्हता किसी भी राज्य परिषद द्वारा पंजीकृत/
सूचीकृत चिकित्सक/2 वर्षीय मेडिकल अथवा
पैरा मेडिकल पाठयक्रम उत्तीर्ण चिकित्सक

प्रवेश लेकर
अधिकारिक चिकत्सक बनकर
देश व समाज को चिकित्सा के क्षेत्र में
अपना योगदान दें।

विस्तृत जानकारी हेतु कृपया www.behm.org.in पर log in करें।